न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 17/2019 **(अपील प्रार्थना पत्र 251–क)**

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल
2. मदनलाल पुत्र रामजीलाल,
   जातियान कंजर निवासीयान लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. हरीप्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री बी.आर. सैनी, अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 20.11.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दि0 15.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पो0 ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी, ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.4400, 323 रकबा 0.0100, 337/324 रकबा 0.2000, 383/324 रकबा 0.1200 है0 के खातेदार अभिधारी हैं। उपरोक्त आराजीयात में पहुंच के लिये लाहा का बास से तरफ पूर्व की ओर आम रास्ता खसरा नंबर 252 जा रहा है, से तरफ उत्तर में अप्रार्थीगण हरिप्रसाद पुत्र रामचन्द्र कौम कुम्हार निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी में स्थित आराजी खसरा नंबर 300 रकबा 0.2300, 301 रकबा 1.1800 है0, में तरफ पश्चिम डोल के सहारे सहारे तरफ उत्तर की ओर करीब 10 फुट चौडा कच्चा मार्ग जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया हुआ है। जो सरासर जारी है और बुजुर्गान के समय से यानी कदीमी से जारी है जिस रास्ते के उपयोग उपभोग मिन आवेदक हल बैल ट्रैक्टर वाहन आदि ले जाकर व आमद रफत रखकर करता आ रहा है। इसके अलावा मिन आवेदक की आराजीयात में आने जाने का अन्य कोई मार्ग रास्ता नही है और विद्यमान मार्ग रास्ता ही आवेदक की आराजीयात व रिहायश कुएं बोरिंग पर जाने के लिये एकमात्र निकटतम व लधुत्तम मार्ग है। आवेदक अपनी खातेदारी की

आराजी में मकान बना रखे हैं।जिसमें विद्युत कनेक्शन ले रखा है। आवेदक विद्यमान मार्ग रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करना चाहता है। जिस हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गौर किये बिना विधि के प्रतिकूल अपने विवादित आदेश दिनांक 15.06.2018 को प्रार्थना पत्र 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमा दिया गया। जिस विवादित आदेश दिनांक 15.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कथन किया कि प्रकरण हाजा में तहत न्यायालय के समक्ष पत्रावली में गत तारीख पेशी दिनांक 08.06.2018 नियत थी जिस पर तहत अदालत द्वारा आगामी पेशी दिनांक 13.07.2018 मुकर्रर किया जाना बताया गया जिसका अंकन तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 08.06.2018 में दर्ज किया हुआ है। लेकिन तहत अदालत द्वारा रेस्पो0 से मिलीभगत करते हुये बगैर अपीलार्थीगण को सूचना दिये प्रकरण हाजा में आगामी दिनांक 04.06.2018 मुकर्रर कर पत्रावली को दिनांक 04.06.2018 को सुनवाई रखते हुये प्रकरण हाजा में गत पेशी दिनांक 15.06.2018 को मुकर्रर कर दी गई। जिस तारीख पेशी पर कोई आदेशिका तहत न्यायालय द्वारा तैयार नही करते हुये पुनः उक्त प्रकरण की पत्रावली को साबिक पेशी दिनांक 04.06.2018 पर ले लिया गया और आदेशिका में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2018 दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी भी अपीलार्थी को नही दी गई और तहत न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के दबाव व प्रभाव में आकर प्रकरण की पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हरनेर में रखी जाकर बाला बाला अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण दर्शित किये खारिज फरमा दिया।तहत अदालत द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व विधि सिद्धान्तों का पालन नही किया और तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण में बगैर तनकीयात कायम किये और बगैर विवेचन किये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में अहम कानूनी भूल की है। धारा 251–क आर टी एक्ट के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार को व भूखण्ड मालिक को अपने मकान व खेत पर आने जाने हेतु रास्ते में स्थित कृषि भूमि में से रास्ता दिया जाना चाहिये। जिस कृषि भूमि के खाता धारक को डीएलसी रेट की राशि रास्ता चाहने वाले व्यक्ति द्वारा रास्ते में स्थित भूमि मालिक को दी जाती है जिसके लिये अपीलार्थी सहमत व तैयार था। कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जो आपसी राजीनामा/सहमति से निस्तारित किये जा सकते हों। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर का विवादित आदेश दिनांक 15.06.2018 अपास्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 15.06.2018 का अवलोकन किया गया।

हमारे द्वारा तहत अदालत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 23.11.2017 को बइन्तजार तहसीलदार रिपोर्ट, दिनांक 05.11.2018 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होकर दिनांक 12.03.2018 को बहस में नियत थी। दिनांक 08.06.2018 को कैम्प कोर्ट में पुनः विधि विरूद्ध दिनांक 04.06.2018 को कैम्प कोर्ट अंकित कर दिनांक 15.06.2018 को कैम्प कोर्ट हेतु नियत किया गया।

आदेश दिनांक 15.06.2018 द्वारा "औचित्य नही" के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई आधार नही था।

तहत न्यायालय द्वारा अपनी ही आदेशिका दिनांक 12.03.2018 की पालना नही की गई। इससे भी बढकर पत्रावली दिनांक 08.06.2018 को कैम्प कोर्ट में नियत थी, परन्तु बिना पक्षकारों को नोटिस/सूचना दिये दिनांक 04.06.2018 में नियत कर दिनांक 15.06.2018 को कोर्ट कैम्प के लिये नियत किया गया।

उक्त प्रकिया विधिक त्रुटि युक्त एवं बिना पक्षकारों को सूचना दिये की गई है। तहत अदालत द्वारा बिना विधिक कारणों का उल्लेख करते हुये मनमाना आदेश पारित किया है जो विधि के अनुकूल नही है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी का निर्णय दि0 15.06.2018 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 251 ए के अनुसार स्वयं मौके पर जाकर रास्ते की अत्यंत आवश्यकता होने पर निजी खातेदारी में से कम से कम दूरी का 10 फुट चौडाई के रास्ते का प्रावधान करते हुये डीएलसी रेट का दो गुना कीमत के आधार पर, राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें। उपखण्ड अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता कायम कर चालू करावें। उक्त आदेश की पालना 01 माह में सुनिश्चित करावें। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर